चूड़ी और कांच उद्योग को चमकाएगी ओडीओपी स्कीम

फिरोजाबाद | हिन्दुस्तान संवाद

एक जनपद एक उत्पाद योजना जिले के कांच उद्योग को चमकाएगी। स्कीम के तहत जिले में उद्योग-कारोबार और सर्विस सेक्टर में 50 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। और चयनित लाभार्थी को अपनी इकाई लगाने के लिए दो करोड़ तक का बैंक लोन दिलाया जा सकेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट स्कीम (ओडीओपी) के अंतर्गत जनपद के कांच उत्पादों का चयन किया गया है। जिसमें चूड़ी व कांच उद्योग शामिल हैं। स्कीम के तहत चूड़ी व कांच से जुड़ी उद्योग-कारोबार व सर्विस सेक्टर में इकाई स्थापित करने के लिए शासन द्वारा बैंक लोन योजना शुरू की गई है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जिले को 50 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य दिया गया है।

शासन द्वारा ओडीओपी स्कीम के जिले में क्रियान्वयन का जिम्मा उद्योग विभाग को दिया गया है। विभाग के माध्यम से ही बैंक लोन योजना संचालित की जा रही है। विभाग ने स्कीम का लाभ दिलाने के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कीम के अंतर्गत शहर व ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी लाभार्थी बैंक लोन प्राप्त कर अपनी इकाई स्थापित कर सकेगा।

लाभार्थी को इस तरह मिलेगी सरकारी सब्सिडी : स्कीम के तहत 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत की इकाई के लिए कुल लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।

25 लाख से अधिक 50 लाख तक की परियोजना लागत पर 20 प्रतिशत। 50 लाख से अधिक एवं डेढ़ करोड़ तक की कुल परियोजना लागत की इकाई के लिए 10 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत अनुदान देय होगा। 150 लाख से अधिक दो करोड़ तक की परियोजना लागत की इकाई पर लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख रुपये की सब्सिडी लाभार्थी को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

लाभार्थी को अपना अंशदान भी देना होगा

स्कीम के तहत लाभार्थी को स्वीकृत प्रोजक्ट लागत पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला व दिव्यांगजन लाभार्थी को पांच प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा।

आवेदन की शर्तें

- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से कम न हो।
- शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
- आवेदक बैंक या किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर ना हो।
- आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ न प्राप्त किया हो।
- एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिल सकेगा।

16 तक प्राप्त कर सकेंगे आवेदन फार्म

उद्योग विभाग ने बुधवार से आवेदन फार्म का वितरण शुरू कर दिया है। जो कि 16 जून तक किया जाएगा। आवेदन फार्म 27 जून से 31 जून तक जिला उद्योग केंद्र पर जमा किए जाएंगे।

ओडीओपी स्कीम का लाभ पहले से कार्यरत व नया कार्य करने के इच्छुक दोनों ही तरह के व्यक्तियों को मिल सकेगा। इस स्कीम से चूड़ी व कांच उद्योग को गति मिल सकेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे।

अमरेश पांडेय, उपायुक्त उद्योग

Hindustan, Agra, 13 June 2019